



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

1 जेष्ठ, 1942 (श०)

संख्या- 217 राँची, शुक्रवार,

22 मई, 2020 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

8 मई, 2020

संख्या-5/आरोप-1-59/2015-5335 (HRMS)--चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री प्यारे लाल, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-रामगढ़), तत्कालीन अंचल अधिकारी, बड़कागाँव के विरुद्ध मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, एन0टी0पी0सी0 के महत्वपूर्ण परियोजना से संबंधित कार्यों के लिए समय-समय पर दिये गये निदेशों का अनुपालन नहीं करने, गैर मजरूआ भूमि के संबंध में गलत, भ्रामक एवं स्वेच्छापूर्ण प्रतिवेदन समर्पित करने संबंधी आरोप, जैसा कि उपायुक्त, हजारीबाग के पत्रांक-1370/स्था0, दिनांक 11.11.2017 द्वारा प्राप्त प्रपत्र-‘क’ में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री लाल के विरुद्ध प्रपत्र-‘क’ में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री लाल को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री लाल द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।
5. श्री लाल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, हजारीबाग को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।
6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	PYARE LAL 110021165705	श्री प्यारे लाल, झा0प्र0से0 (तृतीय बैच, गृह जिला-रामगढ़), तत्कालीन अंचल अधिकारी, बड़कागाँव के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या: BHR/BAS/2972
